

नामांकन फार्म ENROLMENT FORM

दिनांक Date :

कार्मिक एवं प्रशासन प्रधान The P&A Head,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड Bharat Dynamics Limited,
_____प्रभाग / कार्यालय Division/Office.
_____.

महोदय Dear Sir,

विषय : 01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए "बीडीएल कार्यपालकेतर अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ (पी सी एम बी-III) योजना" की सदस्यता के लिए नामांकन.

संदर्भ : का. परि. सं. 29/2016 दि. 03-11-2016 का अनुलग्नक।

मैं अनुरोध करता हूँ कि 01 जनवरी, 2007 के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों के लिए लागू "बीडीएल कार्यपालकेतर अधिवर्षिता पश्चात चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी - III) योजना" की सदस्यता के लिए मेरे और मेरे पति/पत्नी (जो लागू नहीं उसे काट दें) के नाम नामित करें. मेरे / हमारे (जो लागू नहीं उसे काट दें) विवरण इस पत्र के परिशिष्ट - ए1 एवं ए2 में सूचित किए गए हैं. मैं निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ संलग्न कर रहा हूँ :

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

2. पंजीकरण शुल्क के लिए रु. 100/- रु. 200/- (जो लागू नहीं उसे काट दें) का चालान / डीडी नं. दि. के रूप में संलग्न किया जाता है.

धन्यवाद Thanking you,

भवदीय Yours truly,

(हस्ताक्षर Signature)

स्थान Place:

नाम Name:

दिनांक Date:

पता Address:

परिशिष्ट - ए1 में सूचित विवरण के समर्थन में दस्तावेजों की सूची

निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-साक्षात्कृत प्रतियाँ नामांकन फार्म के साथ संलग्न की जानी हैं:

क्र.सं.	मानदण्ड	आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ	पूर्व-कार्यपालकेतर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र (पत्रों) सूचित करें
1	नाम, पता, जन्म तिथि एवं फोटोग्राफ का प्रमाण	<p>1) <u>सेवानिवृत्त कार्यपालकेतर :</u> नाम, पता, जन्म तिथि एवं फोटो सूचित करने वाले वोटर आई डी कार्ड / रेशन कार्ड / ड्रैविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / आधार कार्ड या अन्य फोटो आई डी कार्ड (सरकार या सरकारी अभिकरण द्वारा जारी) की प्रति</p> <p>2) <u>पति / पत्नी:</u> नाम, पता, जन्म तिथि, फोटो, कर्मचारी के पति / पत्नी का नाम सूचित करने वाले फोटो पहचान-पत्र. यदि पहचान-पत्र में रिश्ते का उल्लेख नहीं किया जाता है तो पंचायत / नगरपालिका / निगम प्राधिकरण द्वारा जारी रिश्ता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा.</p>	
2	बीडीएल में सेवा के विवरण	<p>i) नियुक्ति तिथि, कार्यमुक्ति तिथि, कार्यमुक्ति माध्यम इत्यादि सूचित करते हुए बीडीएल द्वारा जारी कोई भी प्रमाण-पत्र / पत्र, कार्यमुक्ति आदेश एवं सेवा प्रमाणपत्र इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं.</p> <p>-----</p> <p>ii) पूर्व कर्मचारी जिनका सेवाकाल बीडीएल में पंद्रह साल से कम है, वे, यदि लागू हो तो अन्य सीपीएसयू से सेवा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं. 01 जनवरी, 2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त कार्यपालक के संबंध में सीपीएसई में 15 साल का सेवाकाल रहना अनिवार्य है.</p> <p>-----</p> <p>iii) पूर्व-कर्मचारी की विधवा को क्र.सं. 2(i) एवं (ii) में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज, जैसे आवश्यक हो, प्रस्तुत करना होगा.</p> <p>-----</p> <p>iv) सेवाकाल के दौरान मृत्यु प्राप्त कर्मचारियों की विधवा को कंपनी द्वारा जारी किसी भी एक दस्तावेज को इस संबंध में प्रस्तुत करना होगा.</p> <p>-----</p> <p>v) बीडीएल में भर्ती होने से पूर्व अन्य सीपीएसई में सेवाकाल से संबंधित दस्तावेज जिसमें सेवाकाल की अवधि सूचित की गई हो (बीडीएल में सेवाकाल 15 साल से कम होने पर ही इसकी आवश्यकता है)</p>	

* मृत्यु एवं लगातार अस्वस्थता के कारण सेवामुक्ति के संदर्भ को छोड़कर 01 जनवरी, 2007 को या इसके बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों के नामांकन के लिए सीपीएसई में पंद्रह साल की निर्बाध सेवा अनिवार्य है.

इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो कल्याण विभाग से संपर्क करें.

(पूर्व-कर्मचारी के नाम एवं तिथि सहित हस्ताक्षर)